Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Supply Appeal No.- 14/2023

Anirudh Karmkar ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	20.10.2023	**आदेश** प्रस्तुत आपूर्त्ति अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई, कटिहार के आदेश ज्ञापांक–472/आ0 दिनांक–27.09.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.-5181/2020 में दिनांक–03.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी सं0–05 संत कुमार मंडल द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरूद्ध माननीय लोकायुक्त के समक्ष दायर वाद सं0–05/लो0 (आपूर्त्ति 08/2018) में दिनांक–18.09.2019 को पारित आदेश के आलोक में इस न्यायालय में आपूर्त्ति अपील सं0–218/2019 दायर किया गया था जिसमें अपीलार्थी विपक्षी सं0–03 के रूप में दर्ज है। उक्त वाद में इनके द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए एक साथ सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है। माननीय लोकायुक्त के उक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई के आदेश ज्ञापांक–472 दिनांक–27.09.2019 द्वारा जिला चयन समिति की अनुशंसा पर अपीलार्थी को प्राप्त अनुज्ञप्ति सं0–19/2018 के रद्द किये जाने के विरूद्ध इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका दायर की गई थी। उल्लेखनीय है कि जिला चयन समिति द्वारा विधिवत् रूप से अपीलार्थी के पक्ष में अनुज्ञप्ति सं0–19/2018 दिनांक–27.02.2018 को निर्गत है। अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व न तो जिला चयन समिति और ना ही माननीय लोकायुक्त, बिहार, पटना द्वारा इन्हें कोई सूचना दी गई और ना ही इनके पक्षों की सुनवाई की गई। जो नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के प्रतिकूल है। उत्तरवादी सं0–05 द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति हेतु दो जगहों से जिसमें एक E.B.C. एवं दूसरा अनारक्षित महिला श्रेणी के अंतर्गत आवेदन दिया गया था जो उनके दोहरे चरित्र का द्योतक है। जिला चयन समिति द्वारा पूर्व में उत्तरवादी सं0–05 के आवेदन को वर्त्तमान में कार्यरत P.D.S. दुकान से प्रस्तावित दुकान की दूरी कम होने के आधार पर अस्वीकृत किया गया। उल्लेखनीय है कि बिहार लक्षियत सार्वजनिक प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016 में माननीय लोकायुक्त को इस	

Web Copy Not Official.

		प्रकार के मामले में किसी प्रकार की शक्ति प्रदत्त नहीं है। जिनके आदेश के आलोक में जिला चयन समिति का निर्णय पोषणीय नहीं है। उत्तरवादी सं0–05 समाज में कदाचित साफ–सुथरे व्यक्ति नहीं हैं। वे आजमनगर थाना कांड सं0– क्रमशः	
	लगातार 20.10.2023	98/2001 एवं सत्र वाद सं0–315/2002 में भा0द0वि0 की धारा 302 के अंतर्गत आरोपित अभियुक्त रहे हैं। अनुज्ञप्ति प्राप्ति पश्चात् दुकान संचालन हेतु इनके द्वारा मोटी राशि खर्च करने से आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। जिला चयन समिति का निर्णय उचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि जिला चयन समिति द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध लिया गया निर्णय न सिर्फ मनमाना, अवैध एवं असंवैधानिक है बल्कि नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के भी प्रतिकूल है। उल्लेखनीय है कि माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक–18.09.2019 को पारित आदेश कोविड–19 के चरम संक्रमण काल में निर्गत है, जिसका अनुपालन जिला चयन समिति की बैठक की कार्रवाई करते हुए अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति रद्द करने का एकतरफा निर्णय लिया जाना न सिर्फ आश्चर्यजनक है बल्कि विधि विरूद्ध भी है। इससे स्पष्ट है कि क्षेत्राधिकार से परे माननीय लोकायुक्त के आदेश का गुपचुप एवं अवैध रूप से उत्तरवादी द्वारा लाभ उठाया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की नितांत आवश्यकता है। उत्तरवादी सं0–05 द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन में पक्का मकान मय सहन वो पक्की सड़क एवं अन्य ब्यौरा दर्शाया गया है जो पूर्णतः झूठा एवं गलत है। जिसकी पुष्टि स्थानीय मुखिया एवं सरपंच तथा लोक सूचना पदाधिकारी–सह–आँगनबाड़ी सेविका पंचायत राज खरसोता के निर्गत प्रमाण पत्रों से भी होती है। उत्तरवादी सं0–05 के द्वारा समर्पित कंप्यूटर प्रमाण पत्र फर्जी एवं जाली है। इनकी ओर से लिखित बहस समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय–सीमा अंतर्गत अन्य दस्तावेज सहित आवेदन समर्पित किया गया था। इनका यह भी कथन है कि आवेदन के समय अपीलार्थी द्वारा मात्र किरायानामा की प्रति दाखिल की गई थी। भौतिक सत्यापन के दौरान दिनांक–25.04.2019 को प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, आजमनगर द्वारा उक्त भूमि की लगान रसीद माँगने पर भू–स्वामी (अमरनाथ तिवारी) से लाकर दिखाया गया था। जो प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है। उल्लेखनीय है कि इकरारनामे के साथ भू–लगान रसीद समर्पित करने का कोई प्रावधान नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई के बिंदुवार जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–14 में आपराधिक मामले दर्ज हैं या नहीं के कॉलम ''हाँ'' (Yes) अंकित है एवं आचरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने का जिक्र है। इनकी ओर से इस न्यायालय में विचाराधीन सदृश्य आपूर्त्ति अपील वाद सं0–218/2019 के साथ संलग्न कर सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है। जिला चयन समिति का निर्णय नियमानुकूल नहीं है। दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–05 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है	

Web Copy Not Official.

		कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। ग्राम पंचायत खरसोता में P.D.S. अनुज्ञप्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं0–01/2017–18 दिनांक–15.05.2017 को प्रकाशित की गई जिसमें अंतिम तिथि–31.05.2017 निर्धारित थी। जिसमें अति पिछड़ा–01, पिछड़ा वर्ग–01 तथा सामान्य श्रेणी के 01 पद की रिक्तियाँ थी। उक्त अनुज्ञप्ति हेतु कुल–8 आवेदन समर्पित किये गये थे। औपबंधिक मेधा सूची में अपीलार्थी को मेधा क्रमांक–01 एवं उत्तरवादी सं0–05 को मेधा क्रमांक–03 पर दर्शाया गया है। जिसमें आपत्ति की माँग की गई। क्रमशः	
	लगातार 20.10.2023	जिला चयन समिति के चयन के विरूद्ध उत्तरवादी सं0–05 माननीय लोकायुक्त, पटना के समक्ष वाद सं0–5/लोक(आपूर्त्ति 8/18) दायर किया गया जिसमें जिला आपूर्त्ति कटिहार द्वारा जिला पदाधिकारी के पत्रांक–2328 दिनांक–17.09.2019 को प्रतिवेदन समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया कि जिला चयन समिति द्वारा अपीलार्थी के चयन को रद्द करते हुए उत्तरवादी सं0–05 के उम्र एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन किया जाना चाहिए। तद्नुसार माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक–18.09.2019 को उक्त वाद को निष्पादित किया गया। लोक सूचना पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई के पत्रांक–786/सूचना दिनांक–05.04.2018 द्वारा अपीलार्थी के आवेदन एवं अन्य सभी दस्तावेज उत्तरवादी सं0–05 को उपलब्ध कराया गया। अपीलार्थी का मैट्रिक एवं कंप्यूटर में उत्तरवादी सं0–05 से कम अंक है। नियमावली के अनुसार उत्तरवादी सं0–05 अपीलार्थी से वरीय है और उक्त व्यवसाय हेतु मुख्य सड़क के बगल में पक्के का मकान अवस्थित है। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय–सीमा अंतर्गत आवेदन नहीं दिया गया था। जो उनके आवेदन एवं एकरारनामे से परिलक्षित होता है। उनके द्वारा सादे कागज पर एकरारनामा दिया गया जो सही नहीं है। जिला चयन समिति द्वारा यह पाया गया कि अपीलार्थी के पक्ष में निर्गत अनुज्ञप्ति सही नहीं है। इनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाय। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक–543 दिनांक–29.05.2023 द्वारा मंतव्य समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि संत कुमार मंडल द्वारा माननीय लोकायुक्त के समक्ष दायर उक्त वाद में जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक–2328 दिनांक–17.09.2019 का हवाला देते हुए उल्लेख किया गया है कि अनिरूद्ध कर्मकार का चयन निरस्त करने का निर्णय लिया गया है तथा संत कुमार मंडल के उम्र एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इनके चयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। माननीय लोकायुक्त द्वारा सभी तथ्यों पर विचार करते हुए संचिकास्त किया गया। उक्त आदेश के आलोक में संत कुमार मंडल द्वारा जिला पदाधिकारी, कटिहार के समक्ष आवेदन समर्पित करते हुए अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। तदालोक में संत	

Web Copy. Not Official.

		कुमार मंडल का अन्य सभी आवेदकों में योग्य रहने के कारण अत्यंत पिछड़ा वर्ग अन्य कोटि में इनका चयन दिनांक–10.07.2020 को कर दिया गया। जिला चयन समिति का लिया गया निर्णय वैधानिक एवं नियमानुसार है। इस प्रकार प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत करने योग्य बताया गया है। यद्यपि Supply Appeal No.-218/2019 (Sant Kr. Mandal V/S The State of Bihar & Ors) में अपीलार्थी की ओर से वाद वापस लेने के अनुरोध पर दिनांक–15.05.2023 को इसे ''वाद वापसी'' (Withdrawal Petition) के आधार पर निष्पादित किया जा चुका है तथापि उक्त वाद के उत्तरवादी एवं प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी की ओर से दिनांक–27.07.2023 को आवेदन समर्पित करते हुए उक्त अभिलेख (218/2019) के भी इस वाद के साथ अवलोकन करने का अनुरोध किया गया है। स्वीकृत। क्रमशः	
	लगातार 20.10.2023	उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी सं0–05 संत कुमार मंडल द्वारा माननीय लोकायुक्त के समक्ष दायर वाद सं0–05/लोक (आपूर्त्ति)–08/18 में दिनांक–21.05.2019 को पारित आदेश के क्रम में जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक–2328 दिनांक–17.09.2019 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि अनिरूद्ध कर्मकार का चयन विभागीय दिशा–निर्देश के अनुसार नहीं हुआ था। फलतः उनके चयन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। फलस्वरूप जिला चयन समिति, कटिहार द्वारा Bihar Targeted Public Distribution System Control Order 2016 के कंडिका–9(V) के आलोक में Computer का ज्ञान रखनेवाले उम्मीदवारों में से सबसे अधिक योग्य उम्मीदवार संत कुमार मंडल (उत्तरवादी सं0–05) को स्नातक में 60.75% अंक रहने के आलोक में अत्यंत पिछड़ा वर्ग अन्य कोटि में सर्वसम्मति से चयन करने का निर्णय लिया गया। अतः उपर्युक्त के आलोक में जिला चयन समिति, कटिहार द्वारा दिनांक–10.07.2020 को लिये गये निर्णय को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजते हुए उभय पक्षों को भी उपलब्ध करावें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.